

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-3
संख्या-11/2017/1501/37-3-2017-5(23)/2017
लखनऊ दिनांक, 01 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना
विविध

भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम-1984 की धारा-32(1) (सी) के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद, लखनऊ में सदस्य के 01 रिक्त पद पर डा० डी०सी० वर्मा, पंजीकरण संख्या-यू०पी०वी०सी-2274, 4/3 खलीलपुर, पो०- सी०बी० गंज, जनपद- बरेली-243502 को सदस्य नामित करने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

डा० सुधीर एम० बोबडे
प्रमुख सचिव

संख्या-11/2017/1501(1)/37-3-2017 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर, 30प्र०, इलाहाबाद।
2. निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, 30प्र० लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, 30प्र० लखनऊ।
4. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र०, इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5. संबंधित चिकित्साधिकारी डा० डी०सी० वर्मा, 4/3 खलीलपुर, पो०सी०बी०गंज, जनपद-बरेली-243502
6. रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद, लखनऊ
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।